बिन्दु सं0–5

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु शासन स्तर से योजनावार नियमावलियाँ/शासनादेश प्रख्यापित हैं उनमें अंकित प्राविधानों/निर्देशों के क्रम में ही योजनाओं का संचालन किया जाता है। साथ ही साथ समाज के दलित/अनुसूचित जाति के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के आशय से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम,1955 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 लागू किया गया है। इसी प्रकार समाज में भिक्षावृत्ति रोकने के उद्देश्य से राजकीय भिक्षुक गृहों की स्थापना की गयी है जो भिक्षावृत्ति(प्रतिषेध) अधिनियम,1975 के प्राविधानों के अनुसार संचालित हैं। भारत सरकार सहयोग से जिन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है वह भारत सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा संचालित किया जाता है।